न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

09/2023

श्री बिजेन्द्र कुमार गुर्जर पुत्र रामगोपाल गुर्जर निवासी देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 05.07.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 108-110 दिनाक 14.02.2023 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1 तारीख 18/07/2022 को रोल नं0 3474892 अभ्यार्थी श्री गुलशन कुमार गुर्जर ने सीधी भर्ती पटवार में अन्तिम चयन की नियुक्ति की पालना में 06 माह की वृद्धि उच्च अध्यन हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान् गिरधर जी आई.ए.एस. ओ.आई.सी. एल.आर. के हस्ताक्षर कराकर आपके कार्यालय हाजा के संस्थापन शाखा लिपिक श्री परितोष जी को रिसिव कराकर प्रति लि गई थी उपरोक्त पेश की गई प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति देवे तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर आपने क्या संज्ञान लिया जिसके स्पष्टीकरण की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

2 अभ्यार्थि श्री गुलशन कुमार गुर्जर द्वारा अभिवृद्धि प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद आज दिनांक तक आपके कार्यालय हाजा द्वारा अभ्यार्थी को कीसी भी प्रकार की सुचना नोटिस या पत्र से सुचित किया हो तो पत्र की प्रमाणित प्रति देवे।

3 अभ्यार्थि श्री गुलशन कुमार गुर्जर के सम्बंध में राजस्व मण्डल अजमेर को पटवार प्रशिक्षण से अनुउपस्थित रहने सम्बधित भेजे गये आदेश पत्र की प्रमाणित प्रति देवे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 431 दिनांक 04.04.2023, 455 दिनांक 13.06.2023, 483 दिनांक 22.06. 2023 व 526 दिंनाक 28.06.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा आज दिनांक तक जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक, तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक